न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4288–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–11–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 205/अपील/12–13.

1– श्रीमती अनिता पत्नी स्व. श्री राजकिशोर
2– कु. वन्दना ना.वा. पुत्री स्व. श्री राजकिशोर
3– कु. रक्षा ना.वा. पुत्री स्व. श्री राजकिशोर
4– कु. सुन्दर ना.वा. पुत्री स्व. श्री राजकिशोर
5– जयवीर ना.वा. पुत्र स्व. श्री राजकिशोर
6– कु. भारती ना.वा. पुत्री स्व. श्री राजकिशोर
आवेदक क्र 2 से 6 तक ना.वा. की सरपरस्त
माता अनीताबाई पत्नी स्व. श्री राजकिशोर गुर्जर
निवासी ग्राम पांगरी, तहसील सतवास जिला देवास
7– मुकेश आत्मज स्व. श्री राजकिशोर
8– सुरेश आत्मज स्व. श्री राजकिशोर
निवासीगण ग्राम लछौरा
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती शांताबाई पत्नी पुरूषोत्तमदास गुर्जर
निवासी ग्राम लछौरा
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....अनावेदिका

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लछौरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 97/1, 97/2 एवं 98/3 स्व. श्री राजकिशोर के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी । राजकिशोर की दिनांक 2–2–12 को मृत्यु होने के उपरांत नामांतरण पंजी कमांक 6 दिनांक 1–4–12 प्रमाणित दिनांक 1–5–12 से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का वारिसाना नामांतरण किया गया । अनावेदिका को उक्त नामांतरण की जानकारी होने पर उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी जिला हरदा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–5–13 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील भी निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–11–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये, साथ ही अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को सूक्ष्मता से जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोष पर विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि भूमिस्वामी की मृत्यु होने के उपरांत उसकी पत्नी एवं पुत्र–पुत्रियों का नामांतरण करने में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, क्योंकि वे ही उसके विधिक वारिसान हैं । यह भी कहा गया कि भूमि का विक्रय किया जा चुका है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष थे, जिनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह तर्क

भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति स्वअर्जित संपत्ति है, जिसमें माता का हिस्सा नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि शांताबाई मृतक भूमिस्वामी की अकेली वारिस नहीं है, अतः इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष केवल यह मुद्दा विचारणीय था कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में गंभीर भूल की गई है, क्योंकि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने के उपरांत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनका यह कहना नहीं है कि शांताबाई अकेली वारिस है, बल्कि उनका यह कहना है कि शांताबाई भी स्व. श्री राजकिशोर की वारिस है । यह भी कहा गया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत शेडयूल 1 के अनुसार माता, पत्नी, पुत्र व पुत्री विधिक वारिस हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण इसलिए प्रत्यावर्तित किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत उद्घोषणा जारी नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी को देखने से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी में काट–छांट की गई है, और नामांतरण कार्यवाही में न तो विधिवत इस्तहार का प्रकाशन किया गया है, और न ही हितबद्ध पक्षकारों को कोई सूचना दी गई है, जबकि अनावेदक की ओर से यह आधार लिया जा रहा है कि अनावेदिका शांताबाई भूमिस्वामी स्व. राजकिशोर की विधिक वारिस है । अतः स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी पर पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर निरस्त की गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष

प्रचलित अपील समय–सीमा में मान्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सूक्ष्मता से जॉच कर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोष के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित करें, वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–201 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर